

बजट आवंटन आदेश-3/

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या-53 : Providing SIM based Internet facility to field staff for monitoring of plantation through various applications/portals of the Department में वर्णित संलग्न सूची अनुसार आवंटित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-04-01-12
2406- Forest & wildlife
04-Afforestation and Ecology Development
103- State Compensatory Afforestation (SCA)
(04)- Net Present value of forest land
(01)- Compensatory Afforestation
12 - Grant in Aid (Other than Salary)

(राशि रु. लाखों में)

APO Item No. 53 : Providing SIM based Internet facility to field staff for monitoring of plantation through various applications/portals of the Department

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	Number of Employees	Total Allotment Due	Amount Being Released	
1	उप वन संरक्षक अजमेर	105	3.15000	1.57500	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर के यू.ओ.नोट क्रमांक 813 दिनांक 15.06.2022 के क्रम में
2	उप वन संरक्षक भीलवाड़ा	105	3.15000	1.57500	
3	उप वन संरक्षक नागौर	76	2.28000	1.14000	
4	उप वन संरक्षक टोंक	72	2.16000	1.08000	
5	उप वन संरक्षक भरतपुर	82	2.46000	1.23000	
6	उप वन संरक्षक धौलपुर	69	2.07000	1.03500	
7	उप वन संरक्षक करौली	92	2.76000	1.38000	
8	उप वन संरक्षक सवाईमाधोपुर	17	0.51000	0.25500	
9	उप वन संरक्षक बीकानेर	67	2.01000	1.00500	
10	उ.व.सं. इ.गान.परि. स्टे- II बीकानेर	59	1.77000	0.88500	
11	उ.व.सं.इ.गान.परि. स्टे- I छतरगढ़	39	1.17000	0.58500	
12	उप वन संरक्षक चूरु	68	2.04000	1.02000	
13	उप वन संरक्षक श्री गंगानगर	91	2.73000	1.36500	
14	उप वन संरक्षक वन्य जीव बीकानेर	20	0.60000	0.30000	
15	उप वन संरक्षक हनुमानगढ़	85	2.55000	1.27500	
16	उप वन संरक्षक बाड़मेर	99	2.97000	1.48500	
17	उप वन संरक्षक जैसलमेर	62	1.86000	0.93000	
18	उ.व.सं.इ.गान.परि. स्टे- II जैसलमेर	87	2.61000	1.30500	
19	उप वन संरक्षक जालौर	70	2.10000	1.05000	
20	उप वन संरक्षक जोधपुर	99	2.97000	1.48500	
21	उप वन संरक्षक पाली	55	1.65000	0.82500	
22	उप वन संरक्षक सिरोही	69	2.07000	1.03500	
23	उप वन संरक्षक जयपुर	78	2.34000	1.17000	
24	उप वन संरक्षक अलवर	89	2.67000	1.33500	
25	उप वन संरक्षक दोसा	81	2.43000	1.21500	
26	उप वन संरक्षक जयपुर उत्तर	73	2.19000	1.09500	
27	उप वन संरक्षक झुंझुनू	72	2.16000	1.08000	
28	उप वन संरक्षक सीकर	88	2.64000	1.32000	
29	उप वन संरक्षक कोटा	95	2.85000	1.42500	
30	उप वन संरक्षक बारां	113	3.39000	1.69500	
31	उप वन संरक्षक बूंदी	65	1.95000	0.97500	
32	उप वन संरक्षक झालावाड़	105	3.15000	1.57500	
33	उप वन संरक्षक उदयपुर(उत्तर)	103	3.09000	1.54500	
34	उप वन संरक्षक बांसवाड़ा	111	3.33000	1.66500	
35	उप वन संरक्षक धितौड़गढ़	91	2.73000	1.36500	
36	उप वन संरक्षक डूंगरपुर	73	2.19000	1.09500	

37	उप वन संरक्षक प्रतापगढ़	125	3.75000	1.87500
38	उप वन संरक्षक उदयपुर	162	4.86000	2.43000
39	उप वन संरक्षक वन्य जीव भरतपुर KNP	42	1.26000	0.63000
40	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि.(प्रथम)रणथम्भौर बाघ परि. सवाईमाधोपुर	89	2.67000	1.33500
41	उ.व. सं. वन्य जीव चम्बल अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर	69	2.07000	1.03500
42	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि.(द्वितीय) रणथम्भौर बाघ परि. करौली	69	2.07000	1.03500
43	उप वन संरक्षक वन्य जीव जोधपुर	47	1.41000	0.70500
44	उप वन संरक्षक वन्य जीव आबू पर्वत सिरोही	33	0.99000	0.49500
45	उप वन संरक्षक वन्य जीव जैसलमेर	41	1.23000	0.61500
46	उप वन संरक्षक वन्य जीव जयपुर	52	1.56000	0.78000
47	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. बाघ परियोजना सरिस्का अलवर	103	3.09000	1.54500
48	उप वन संरक्षक वन्य जीव चिडियाघर जयपुर	69	2.07000	1.03500
49	उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा	61	1.83000	0.91500
50	उप वन संरक्षक मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा	82	2.46000	1.23000
52	उप वन संरक्षक वन्य जीव उदयपुर	74	2.22000	1.11000
53	उप वन संरक्षक वन्य जीव धिलौडगढ़	71	2.13000	1.06500
54	उप वन संरक्षक वन्य जीव राजसमन्द	170	5.10000	2.55000
55	उप वन संरक्षक अनुसंधान जयपुर	16	0.48000	0.24000
	योग	4200	126.00000	63.00000

*** Term and conditions for Internet Connectivity**

- Budget is proposed (as per column 5) for providing 4G SIM base internet data facility to field staff (forest Guard, Assistant Forester, Forester Range officer, ACF and Field related Staff. not to the peon, drivers etc.
- Budget must be utilised for the items in the financial year 2022-23.
- It is very essential to send utilisation certificate (uc) after completion the work. UC to be sent to APCCF CAMPA with CC TO APCCF IT.
- Rest of the money for above activity will be allotted after a period of 3 months to the divisions by whom all the plantations done under campa will be uploaded on FMDSS and e-Green Watch portal during this period of 3 months.
- The facility should be provided to field staff for current financial year 2022-23
- All codal formalities for procurement mandated by Government of Rajasthan must be followed.
- Mobile number may be recharged for internet data plan based on availability of good connectivity in your area. Also assure that this number is linked with SSO ID of the employee.
- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23 /कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जाये तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे।समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rules एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉम्पैरिट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- संबन्धित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।

- 17 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 18 कैम्पा से आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सके।
- 19 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्ट्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित प्रवृत्ति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 20 कैम्पा मद के अर्न्तगत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Shikha

(शिखा मेहरा)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

4724-4795

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रनुवसं/लेखा/व.आ./2022-23.

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर
- 3 मुख्य वन संरक्षक -अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/उदयपुर/वन्य जीव जोधपुर/वन्य जीव सरिस्का अलवर/वन्य जीव जयपुर/वन्य जीव कोटा/वन्य जीव उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 4 उप वन संरक्षक- अजमेर/भीलवाड़ा/नागौर/टोंक/भरतपुर/धौलपुर/करौली/सवाई माधोपुर/बीकानेर/इ.गा.न.परि. स्टेज-II बीकानेर/इ.गा.न.परि. स्टेज-I छतरगढ़/चूरू/हनुमानगढ़/श्री गंगानगर/वन्य जीव बीकानेर/ बाड़मेर/जैसलमेर/इ.गा.न.परि. स्टेज-II जैसलमेर/जोधपुर/जालौर/पाली/सिरोही /जयपुर/अलवर/ दौसा/ जयपुर उत्तर /झुंझुनू/ सीकर/कोटा /बांसा/बूंदी/झालावाड़/उदयपुर उत्तर/बांसवाड़ा/चित्तौड़गढ़/डूंगरपुर/ प्रतापगढ़/ उदयपुर/अनुसंधान, जयपुर/वन्य जीव भरतपुर/उ.क्ष.नि. (प्रथम) रण. बाघ परि. सवाई माधोपुर/उ.क्ष.नि. (द्वितीय) रण. बाघ परि. करौली/वन्य जीव चम्बल अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर/वन्य जीव जयपुर/सरिस्का अलवर /चिडियाघर, जयपुर /वन्य जीव जोधपुर/वन्य जीव जैसलमेर/वन्य जीव आबू पर्वत सिरोही/वन्य जीव कोटा / वन्य जीव एम.एन.पी. कोटा/वन्य जीव उदयपुर/वन्य जीव चित्तौड़गढ़/वन्य जीव राजसमंद।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 7 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

(आकांक्षा जोशी)

उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।